संख्या :1130 / 1–10–2013–12(34) / 03टी0सी0–4

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर / बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 28 मार्च 2013

विषय :वर्ष 2012–13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012–13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या–4024 / 1–10–2010 –14(63) / 2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश मे शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32–7 / 2011–एन0डी0एम0–1, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड–लाइन के आईटम नं0–3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन /निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या–2690 / 1–10–2012–12(34) / 03टी0सी0–1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रू0 5,00,000 / – व अलाव हेतु रू0 50,000 / – की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में कम्बल आदि क्रय करने के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी निविदा के बिल / विज्ञापन शुल्क का भुगतान करने हेतु आप द्वारा की गयी अतिरिक्त मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **20,831 / – (रूपये बीस हजार आठ सौ इकत्तीस मात्र)** आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2

क0 सं0	जनपद	मद	जिलाधिकारी का सन्दर्भ	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	रामपुर	समाचार पत्रों का विज्ञापन शुल्क	526 / दै0आ0, दिनांक 25 फरवरी, 2013	3,160 / –
2	बाराबंकी	समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी निविदा	5093 / राहत लिपिक, दिनांक 27 फरवरी, 2013	17,671 / –
			कुल योग रू0	20,831 / –

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापित न किया जाये।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को नियमानुसार वापस किया जायेगा।

6. शासनादेश संख्या–2690 / 1–10–12(34) / 03टी0सी0–1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 1130 (1)1–10–2013–12(34) / 03 –टी0सी0–04तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार–प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2–सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहतकीवेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

DHANWANTAN426

6–मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, बाराबंकी / रामपुर।

7–वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।

8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।

10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

DHANAWANTAN427